सं. डब्ल्यू 02/0002/2014-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी एल-IX/19

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 02 अप्रैल, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में असंघबद्ध पर्यवेक्षकों सहित निदेशक मण्डल स्तर के तथा निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों के वेतनमान में 01.01.2007 से संशोधन-संशोधित दरों पर औद्योगिक महंगाई भत्ते का भुगतान।

*****

इस विभाग के दिनांक 03.01.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों तथा असंघबद्ध पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें (2007 का वेतन संशोधन) निम्नप्रकारेण कर दी जाए:

(क) जिस तारीख से देय है : 01.04.2019

(ख) दिसम्बर, 2018- फरवरी, 2019 तिमाही का औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001 =100)

दिसम्बर, 2018	301
जनवरी, 2019	307
फरवरी, 2019	307
तिमाही का औसत	305

(ग) मूल्य सूचकांक: 126.33 (दिनांक 01.01.2007 को)

(घ) मूल्य सूचकांक की तुलना में वृद्धि अंक : 178.67 (305-126.33)

(ङ.) दिनांक 01-04-2019 से संशोधित महंगाई भत्ता दर: 141.4% [(178.67 ÷ 126.33) X 100]

2. उपर्युक्त महंगाई भत्ता दर अर्थात 141.4% औद्योगिक महंगाई भत्ता पाने वाले उन कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी जिनके मामले में लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 तथा 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की स्वीकृति दी गई है।

3. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त को आवश्यक कार्रवाई के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के ध्यान में लाएं।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
3. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इस कार्यालय ज्ञापन को लोक उद्यम विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

(समसुल हक)
अवर सचिव